न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

Spl. (SC/ST) Case No. 215/2018
पृथ्वीचंद यादव
बनाम
राज्य सरकार

उपस्थिति :–
वास्ते आवेदक :– श्री राजेश कुमार पंडित, विद्वान अधिवक्ता।
वास्ते अभियोजन :– श्री कलानंद राम, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

15.07.2022

प्रस्तुत जमानत आवेदन सह आत्मसमर्पण आवेदन में आवेदक पृथ्वीचंद यादव की ओर से Raniganj P.S. Case No. 322/2018 U/S-341, 323, 504 I.P.C. & 3(I) (r) of the SC/ST Act के संदर्भ में दाखिल किया गया है। उपरोक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा इस जमानत आवेदन को आज प्रचालित किया गया।

संक्षेप में अभियोजन वाद यह है कि सूचिका रेखा देवी के अनुसार दिनांक–30.09.2018 को समय करीब 1 बजे दिन में संग्रामपुर छोटी नहर के रूपया वापस करने की बात बोली तो अभियुक्त ने जाति सूचक शब्द से गाली–गलौज किया। सूचिका के इंदिरा आवास में मिलने वाली सरकारी राशि में से 14000/–रू0 रिश्वत के रूप में ठगी कर लिया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है आवेदक निर्दोष है और आवेदक को ग्रामीण राजनीति के कारण इस केस में झूठा फंसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल झूठी एवं बनावटी है। आवेदक न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते है तथा सूचिका को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सूचना दिये थे।

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि कांड दैनिकी में साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन नहीं किये हैं। प्राथमिकी तीन दिन विलंब से दर्ज कराई गई है, परन्तु विलम्ब का कोई कारण नहीं दर्शाया गया है।

आवेदक को मो0 दस हजार रूपये के दो समान प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है कि –

1. आवेदक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे। लगातार दो तिथियों तक बिना किसी उचित कारण के अनुपस्थित रहने पर आवेदक का बंधपत्र खंडित कर दिया जायेगा।

Sd/-
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया